

कार्यमुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण पत्र, परीक्षा कार्य सहयोग आदेश, टी० आर० खुंटे का मृत्यु प्रमाण पत्र, परीक्षा आवेदन पत्र, अभियुक्ता पोराबाई की विषय हिंदी, अंग्रेजी, जीव-विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान की उत्तरपुस्तिकाएं, उपस्थिति पत्रक, परीक्षा आवेदन पत्र, बैठक व्यवस्था विवरण, उत्तरपुस्तिका जमा आदेश, नोटबुक, कॉपी, पावती पत्र, अभिरक्षा पंजी, स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज प्रकरण का भाग होने से अभिलेख के साथ संलग्न रखा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाएगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/-

(गणेश राम पटेल)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

सही/-

(गणेश राम पटेल)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

1. आरोपीगण को निःशुल्क प्रति ।
2. अभियोजन हेतु ।
3. केंद्रीय जेल बिलासपुर ।
4. जिला जेल, जांजगीर ।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रमाणित सत्य
प्रतिलिपि

R. P. Patel

(गणेश राम पटेल)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)



468/120 बी भा.द.सं. 1860	05 वर्ष का कठोर कारावास	5,000/-	तीन मास
471/120 बी भा.द.सं. 1860	05 वर्ष का कठोर कारावास	5,000/-	तीन मास

77- आरोपी पोराबाई, एस.एल.जाटव, दीपक जाटव एवं फुलसाय नृसिंह को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420/120 बी, 467/120 बी, 468/120 बी, 471/120 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने हेतु दी गई उपर्युक्त सजाएं साथ साथ चलेंगी ।

78- इस प्रकरण मे अभियुक्त पोराबाई द्वारा 25.08.2008 से 07.02.2009 तक कुल 167 दिवस, फूलसाय 15.12.2009 से 05.03.2010 तक कुल 81 दिवस, शिवलाल जाटव 27.03.2009 से 20.11.2009 तक कुल 238 दिवस एवं दीपक सिंह जाटव 27.03.2009 से दिनांक 26.09.2009 तक कुल 184 दिवस विचारण के दौरान अभिरक्षा मे बिताई गई अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाये । अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा मे बितायी गयी अवधि धारा 428 सहपठित धारा 432 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सजा का परिहार किए जाते समय नियमानुसार समायोजित की जा सकती है ।

79- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति प्रकरण संबंधी दस्तावेज यथा-केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति आदेश, सील, दाखिल खारिज पंजी, पाठकान पंजी, स्थानांतरण आदेश,